



# RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA, BHOPAL

(University of Technology of Madhya Pradesh)

Airport Bypass Road, Gandhi Nagar,

ईमेल: [ce@rgpv.ac.in](mailto:ce@rgpv.ac.in)

Bhopal-462036

ईमेल: [transcript@rgpv.ac.in](mailto:transcript@rgpv.ac.in)

वेबसाईट : [www.rgpv.ac.in](http://www.rgpv.ac.in)

0755-2678855

## Following Process of Transcript Online/Offline

सरल क्रमांक	ऑफ लाईन Transcript (Non Grading) आवेदन हेतु निर्देश	ऑन लाईन Transcript (Grading) आवेदन हेतु निर्देश (छात्र/छात्रा अपने पोर्टल आईडी द्वारा)
01	सत्र 1999 से 2009 (Non Grading) में प्रवेशित छात्र/छात्रा की Transcript ऑफ लाईन जारी की जाती है।	सत्र 2010 (Grading) में प्रवेशित एवं उसके बाद में आज दिनांक तक प्रवेशित एवं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा की Transcript ऑन लाईन ही स्वीकार्य की जावेगी।
02	इस हेतु आवेदक को रु. 1000/- का शुल्क यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा कर उसकी दो प्रति विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। Transcript प्रारूप विश्वविद्यालय की आफिशियल वेबसाईड (Official Website) <a href="http://www.rgpv.ac.in/Exam/DownloadForms">www.rgpv.ac.in/Exam/DownloadForms</a> फॉर्म से प्राप्त होगा।	इस हेतु आवेदक को विश्वविद्यालय की आफिशियल वेबसाईड <a href="http://www.rgpv.ac.in">www.rgpv.ac.in</a> पर अपने पोर्टल द्वारा आन लाईन 1000/- के शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। जिसमें Self एवं By Post का Option चुनना होगा।
03	इस हेतु आवेदक को अपने पूरे पाठ्यक्रम की सभी सेमेस्टर की मूल अंकसूचीयों को एवं Fill किया हुआ Transcript Format का प्रिंटआउट विश्वविद्यालय आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा Transcript का आवेदन ऑन लाईन (पोर्टल द्वारा) पश्चात Transaction ID का Print Out आगे की कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य।
04	मूल अंकसूचीया उपलब्ध ना होने की स्थिति में सभी सेमेस्टर की मूल अंकसूचीयों की छायाप्रतियों के साथ रु. 500/- का शुल्क चालान के माध्यम से जमा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छायाप्रतियों का सत्यापन विभाग में उपलब्ध T.R. से किया जाता है। T.R. से सत्यापन सही पाए जाने पर ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।	.....
05	छात्र की अनुपस्थिति में उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर छात्र का हस्ताक्षर किया हुआ Atthority letter एवं Identity Proof तथा प्रतिनिधि का Identity Proof प्रस्तुत करने पर ही Transcript दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे।	छात्र की अनुपस्थिति में उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा आवेदन Transcript का Print Out प्रस्तुत करने पर छात्र का हस्ताक्षर किया हुआ Atthority letter, Identity Proof तथा प्रतिनिधि का Identity Proof प्रस्तुत करने पर ही उसे Transcript दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे।
06	U.I.T. समेत प्रदेश के सभी आर0जी0पी0वी के नोडल सेंटर शासकीय महाविद्यालय के सभी सत्र में प्रवेशित छात्र छात्राओं की Transcript ऑफ लाईन जारी की जाती है। नोडल सेन्टर SGSITS-Indore द्वारा T.R. सत्र 2022 से विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया जाता है अतः सत्र 2022 के बाद की Transcript विश्वविद्यालय की E.C. एवं F.C. अनुसार SGSITS से ही प्राप्त होगी।	.....

आदेशानुसार  
परीक्षा विभाग